अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय, खोरीमहुआ

विविध अपील सं0–01/2020–21

मोला पाण्डेय
ऊर्फ मोलानाथ पाण्डेय वगैरह —बनाम्— अर्जून पाण्डेय वगैरह

आदेश

01.10.22 अंचल अधिकारी, जमुआ द्वारा दाखिल खारीज वाद सं0–4/2016–17 में दिनांक–21.12.2017 को पारित आदेश से क्षुब्ध होकर दिनांक–28.08.2020 को अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदन को सुनवाई हेतु अंगीकृत कर प्रतिपक्षी को सूचित किया गया एवं निम्न न्यायालय से अभिलेख की माँग करते हुए सुनवाई की गयी।

अपीलार्थी की ओर से लिखित एवं मौखिक पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया कि जमुआ अंचल के केन्दाजोर मौजा नं0–354 अन्तर्गत खाता नं0–12, प्लॉट नं0–26, 41, 43, 112, 148, 169 एवं 155 शामिल रकवा 4.04 एकड़ अपीलार्थी के पूर्वज दुल्ली पाण्डेय के नाम खतियान में दर्ज बकास्त भूमि है एवं वंशानुक्रम से अपीलार्थीगण को उत्तराधिकार के तहत प्राप्त है। उपरोक्त वर्णित प्लॉट नं0–112 पर पूर्वजों द्वारा निर्मित आवासीय मकान में अपीलार्थीगण निवास करते आ रहे हैं किन्तु अपीलार्थीगण के पिता का स्वर्गवास अल्पायु में हो जाने तथा तरह–तरह के कठिनाई एवं आर्थिक तंगी के कारण उपरोक्त वर्णित भूमि के नामांतरण हेतु नामांतरण आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सका था एवं दिनांक–14.07.2016 को पहली बार अपीलार्थीगण द्वारा अंचल अधिकारी, जमुआ के समक्ष नामांतरण आवेदन प्रस्तुत किया जा सका जिसकी सुनवाई के क्रम में विपक्षीगण/प्रतिपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत किये गये कागजात आधारित प्रतिदावा एवं अपीलार्थीगण/आवेदकगण के कागजात आधारित दावा पर गौर करने के पश्चात मामले को स्वत्व संबंधी विवाद रहने का उल्लेख कर अभिलेख की कार्रवाई समाप्त कर दी गयी एवं पक्षकारों को सक्षम न्यायालय की शरण लेने का तथ्य अपने आदेश दिनांक 21.12.2017 में अंकित किया गया है।

निम्न न्यायालय के उपरोक्त निर्णय से व्यथित एवं असंतुष्ट अपीलार्थी की ओर से आवेदन प्रस्तुत किये जाने का आधार निम्नलिखित बताया गया:–

(1) यह कि, वादग्रस्त भूमि से संबंधित निम्न न्यायालय का आदेश गलत एवं कानून के विरूद्ध रहने के साथ–साथ तथ्यों पर आधारित नहीं है एवं अपास्त किये जाने योग्य है।

Scanned with CamScanner

(2) यह कि, निम्न न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि को बकास्त रहना स्वीकार किया गया है तथा खतियान बकास्त भूमि का है तथा निम्न द्वारा दिनांक–30.05.1953 के गजट में अपीलार्थी के पूर्वज का नाम दर्ज रहने पर भी गौर नहीं किया गया है तथा निम्न न्यायालय द्वारा इस वाद पर गौर नहीं किया गया कि खेवट सं0–1/1, 1/2, 1/4 तथा 1/5 के निर्माण के पूर्व वर्ष 1903 के निलामी का कोई महत्व नहीं रह जाता है तथा निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक–30.05.1953 के गजट में अपिलार्थी के पूर्वज का नाम दर्ज रहने पर भी गौर नहीं किया गया है।

(3) यह कि, निम्न न्यायालय द्वारा मकान एवं धान की खेती सहित दखलकार रहने का तथ्य स्वीकार करने के बावजूद अपीलार्थी का जमाबंदी कायम नहीं किये जाने संबंधी निर्णय कानूनन गलत है एवं अपास्त किये जाने योग्य है।

(4) यह कि, निम्न न्यायालय द्वारा वर्ष 1902 के सर्टिफिकेट वाद एवं एक्जक्यूशन वाद में निर्णय आवेदन के परदादा के पक्ष में पारित रहने संबंधी तथ्य को स्वीकार करने के बावजूद उक्त महत्वपूर्ण विन्दु पर गौर नहीं किया गया।

(5) यह कि, अपीलार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति बंध पत्र के तहत वर्ष 1962 एवं 1973 में मुआवजा प्राप्त किये जाने संबंधी वास्तविकता की जानकारी के बावजूद जमाबंदी कायम नहीं किया जाना कानूनन गलत है।

(6) यह कि, अपीलार्थी के पूर्वज द्वारा वर्ष 1932 एवं 1947 में भैरो राय एवं मोती मियाँ को बिक्रीत भूमि में से मोती मियाँ द्वारा राधा देवी को बिक्रीत जमीन का नामांतरण कर लगान की वसूली करते रहने के बाद भी अपीलार्थी का नामांतरण आवेदन अस्वीकृत किया जाना गलत एवं अस्वीकार्य रहने के विन्दु पर ध्यान नहीं दिया गया।

(7) यह कि, नामांतरण आदेश से केवल दखल का पता चलता है किन्तु दखल में पाने के बावजदू अपीलार्थी का नामांतरण अस्वीकृत किया जाना गलत रहने के विन्दु पर भी निम्न न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया गया।

(8) यह कि, मात्र अधिकारपूर्ण दखल के आधार पर प्रस्तुत नामांतरण आवेदन को बनावटी आधार पर अस्वीकृत नहीं किये जाने संबंधी माननीय न्यायालय के न्याय निर्णय पर निम्न न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया गया।

(9) यह कि, निम्न न्यायालय द्वारा नामांतरण वाद का निपटारा मात्र दखल के आधार पर किया जाना है एवं स्वत्व संबंधी विवाद का विचारण नामांतरण वाद में नहीं हो सकता है।

Scanned with CamScanner

(10) यह कि, दिनांक–10.05.2010 को अपीलार्थी द्वारा खेवट नं0–1/29 के खाता नं0–12, प्लॉट नं0–41, रकवा–6 डिसमिल भूमि जयनारायण पाण्डेय को बिक्री किया जिन्होंने किसी माहुरी को बिक्री किया जिसका नामांतरण होकर रसीद निर्गत होने के बावजूद वर्ष 2016–17 में उपरोक्त दलील के गवाह द्वारा भूमि को अपना बताये जाने के संबंध में स्पष्ट मंतव्य अंकित नहीं किया गया।

(11) यह कि, अपीलार्थी को भू–अर्जन वाद सं0–8A/2015–16 के तहत भू–अर्जन का सूचना प्राप्त रहने तथा भूमि का पूर्ण स्वत्व, अधिकार एवं दखल रहने के बावजूद नामांतरण अस्वीकृत किये जाने संबंधी निम्न न्यायालय का निर्णय गलत एवं अपास्त करने योग्य रहने का उल्लेख कर निम्न न्यायालय के आदेश को अपास्त करते हुए अपना अपील आवेदन स्वीकृत करने तथा जमाबंदी कायम कराने का अनुरोध अपीलार्थी की ओर से किया गया।

प्रतिपक्षी की ओर से लिखित एवं मौखिक पक्ष प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि सहित कुल 11.74 एकड़ भूमि निबंधित दलील वर्ष 1903 के माध्यम से इनके पूर्वज को प्राप्त रहने तथा अपीलार्थी के पूर्वज तत्कालीन खेवटदार दुल्ली पाण्डेय के नाम खतियान में दर्ज उक्त भूमि के पूर्णतः निलाम हो जाने का तथ्य प्रस्तुत कर बताया गया कि खतियानधारी दुल्ली पाण्डेय के निलाम जमीन को लाला भूपतलाल द्वारा प्राप्त किया गया एवं उसके द्वारिका पाण्डेय के हाथ बिक्री किया गया एवं मुंसिफ गिरीडीह के न्यायालय से वर्ष 1903 में प्राप्त निर्णय के आधार पर अपीलार्थी के पूर्वजों से भूमि का दखल प्रतिपक्षी के पूर्वज द्वारा प्राप्त किया गया एवं उक्त भूमि को कमलकांत पाण्डेय तथा घुरचटी पाण्डेय को बिक्री कर दखलकार किये जाने तथा उक्त भूमि पर वर्तमान में प्रतिपक्षीगण के दखलकार रहने का तथ्य प्रस्तुत कर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत इस अपील को अस्वीकृत करने तथा अपना जमाबंदी कायम किये जाने का अनुरोध प्रतिपक्षी की ओर से किया गया।

निम्न न्यायालय के अभिलेख की छायाप्रति अंचल अधिकारी, जमुआ के पत्रांक–191, दिनांक–21.02.2022 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है।

निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के आवेदन तथा उनके द्वारा अपने कागजात से संबंधित शपथ पत्र सं0–927, दिनांक–16.09.2016 तथा जटाधारी पाण्डेय वगैरह द्वारा किये गये आपत्ति के आलोक में मामले की जाँच एवं सुनवाई करते हुए दिनांक–21.12.2017 को जमाबंदी कायम से संबंधित वाद संख्या–4/2016–17 की कार्रवाई समाप्त कर दी गयी एवं पक्षकारों को वादग्रस्त भूमि संबंधी विवाद के निपटारा हेतु सक्षम न्यायालय की शरण लेने की सलाह दी गयी है।

Scanned with CamScanner

वाद संख्या-

पक्षकारों को सुनने तथा निम्न न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष द्वारा लगभग 120 वर्ष पुराने एवं वर्ष 1902–1903 के अलग–अलग कागजात के आधार पर अपने–अपने दखल का दावा करते हुए अपना–अपना जमाबंदी कायम कराने का दावा–प्रतिदावा किया जा रहा है तथा अपीलार्थी द्वारा अपने दावा के समर्थन में अपने पूर्वज से वर्ष 1947 में भूमि का खरीदगी करने वाले मोती मियाँ का नामांतरण हो जाने का तथ्य विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया। निम्न न्यायालय के आदेश से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा नामांतरण का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है बल्कि उनके द्वारा जमाबंदी कायम करने का अनुरोध अंचल अधिकारी के समक्ष पहली बार वर्ष 2016–17 में किया गया है जबकि वर्ष 1965–66 के प्रभाव से अंचल अधिकारी को नया जमाबंदी सृजित करने का अधिकार प्रदत्त नहीं है।

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत विभिन्न न्याय निर्णय पर गौर करने से स्पष्ट होता है कि विवाद रहित एवं अधिकारपूर्ण दखल के आधार पर नामांतरण हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदन की जाँच के क्रम में स्वत्व संबंधी विवाद वाले विन्दु का विचारण नहीं किया जाना है एवं नामांतरण स्वीकृत किया जाना ही नियमसंगत है। किन्तु वर्त्तमान मामले में उन न्यायनिर्णय का प्रभाव नहीं रह जाता है, क्योंकि पूर्व में वादग्रस्त भूमि का कोई जमाबंदी न तो अपीलार्थीगण के पूर्वजों के नाम कायम है और न ही प्रतिपक्षीगण के पूर्वज के नाम है। ऐसी स्थिति में पूर्व के बिक्री एवं नामांतरण के संबंध में कोई सुस्पष्ट तथ्य एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये वगैर वैसे अनिश्चित मामले का उल्लेख कर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मामला वस्तुतः नामांतरण का है ही नहीं तथा निम्न न्यायालय द्वारा पक्षकारों के स्वत्व, अधिकार एवं दखल संबंधी दावा-प्रतिदावा के विचारण का अधिकारिता सक्षम न्यायालय में निहित रहने संबंधी वास्तविकता के आधार पर अभिलेख की कार्यवाही मात्र समाप्त किया गया है न कि नामांतरण के संबंध में कोई आदेश पारित किया गया है। तद्नुसार निम्न न्यायालय द्वारा नामांतरण संबंधी पारित किसी आदेश के अभाव में यह नामांतरण अपील पोषणीय नहीं रह जाता है एवं निम्न न्यायालय के मंतव्य दिनांक–21.12.2017 में किसी प्रकार का कोई कानूनी त्रुटि नहीं रहने की स्थिति में इस न्यायालय द्वारा अपीलीय प्रक्रिया के तहत किसी हस्तक्षेप की गुजाईश नहीं रहना पाकर अपीलार्थी का आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

01/10/2022
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
खोरीमहुआ

लेखापित एवं संशोधित

01/10/2022
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
खोरीमहुआ

Digitally signed by DHIRENDRA KUMAR SINGH
Date: 2023.05.11 01:12:45 +05:30
Location: 192.168.29.192

Scanned with CamScanner